



इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - सी संख्या - 1084 सन् 2026

उमाशंकर

.... याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य

..... उत्तरदातागण

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : शिव दत्त यादव, सीता राम

उत्तरदातागण के अधिवक्ता : आजाद राय, सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पांडिया,

1. उ0प्र0ज0वि0 और भू0सु0 अधिनियम, 1950 की धारा 122-ख के अधीन ग्राम सभा द्वारा याचिकाकर्ता के विरुद्ध शुरू की गई कार्यवाही में, जिसे वाद संख्या 202/79/300/2000/05 के रूप में दर्ज किया गया था, 13.04.2005 को याचिकाकर्ता को विचाराधीन भूमि से बेदखल करने का आदेश पारित किया गया था। उपरोक्त काल बाधित अपील के विरुद्ध काल बाधित अपील संख्या 640 सन् 2025 (कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या डी202502250000640) याचिकाकर्ता द्वारा कलेक्टर के समक्ष धारा 67 (5) उ0प्र0 राजस्व संहिता, 2006 के अधीन मई 2025 में दायर की गई थी, साथ ही देरी की माफी के लिए आवेदन भी दायर किया गया था। देरी की माफी के लिए उपरोक्त आवेदन को उत्तरदाता संख्या 2 द्वारा खारिज कर दिया गया था और उत्तरदाता संख्या 2 द्वारा अपील को भी विलंब के आधार पर खारिज कर दिया गया था। उपरोक्त के विरुद्ध व्यथित होकर याचिकाकर्ता ने वर्तमान रिट याचिका को प्राथमिकता दी है।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



2. पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना और अभिलेख का अवलोकन किया।
3. उत्तरदाता संख्या 3 द्वारा पारित दिनांक 13.04.2025 के आदेश के अवलोकन से, न्यायालय की राय है कि उपरोक्त आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के साथ-साथ **2023 (1) एडब्ल्यूसी 4** में रिपोर्ट किए गए **ऋषिपाल सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य** के मामले में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित विधि-व्यवस्था का पूर्ण उल्लंघन करते हुए पारित किया गया है। इसके अलावा, जब देरी की माफी के आवेदन के साथ अपील दायर की गई थी, तो अपीलीय प्राधिकारी या तो अपील को खारिज करने के लिए स्वतंत्र था या देरी को माफ करने के बाद अपील का निर्णय गुण-दोष के आधार पर किया जाना चाहिए, लेकिन वर्तमान मामले में अपील का निर्णय एक आदेश द्वारा विलंब के साथ-साथ गुण-दोष पर किया गया था। अभिलेख के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अपील दाखिल करने में काफी देरी हुई है। अपील प्रकृति में वैधानिक थी। यह स्थापित विधि है कि यदि वैधानिक अपील दायर की जाती है, तो अपीलीय प्राधिकारी कारण बताकर उस पर निर्णय लेने के लिए बाध्य है।
4. इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए और साथ ही न्याय के हित में, याचिकाकर्ता को उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन, इलाहाबाद के पक्ष में 2,000/- रुपये का जुर्माना जमा करने और उत्तरदाता संख्या 2 के समक्ष रसीद का प्रमाण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया जाता है। यदि ऐसा किया जाता है तो उत्तरदाता संख्या 2 को निर्देश दिया जाता है कि वह अपील दायर करने में देरी को माफ करने के बाद याचिकाकर्ता द्वारा दायर अपील को गुण-दोष के आधार पर विधि के अनुसार निर्णीत करे।
5. उपरोक्त टिप्पणियों के साथ, रिट याचिका का निस्तारण किया जाता है।

(न्यायमूर्ति प्रकाश पाड़िया,)

फरवरी 10, 2026

स्वाति

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



Translated version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"